

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली-चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी. 05 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि
कर्णप्रयाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर